

डुमरांव बाजार में नकाबपोशों का तांडव

मोबाइल दुकान से 50 से अधिक फोन और तीन लाख नकद की चोरी

बक्सर (आससे)। डुमरांव बाजार स्थित गीता मोबाइल शॉप में नकाबपोश चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मंगलवार को देर रात करीब दो बजे चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे। इसके बाद महंगे मोबाइल फोन और करीब तीन लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए। मुख्य बाजार में हुई इस वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, चोरों ने दुकान में घुसते ही पेचकस से कैश काउंटर तोड़ दिया। उसमें रखी नकदी निकाल ली। इसके बाद महंगे आईफोन और 40 से 50 हजार रुपये कीमत वाले एंड्रॉयड मोबाइल फोन समेट लिए। चोर 50 से अधिक मोबाइल फोन ले गए। हेरानि की बात यह है कि मोबाइल के डिब्बे और चार्जर दुकान में ही छोड़ दिए।

घटना के दौरान का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने वारदात से पहले दुकान की रेकी की थी। दुकान में सामान रखने की जगह और कैश काउंटर तक पहुंचने के तरीके को लेकर पुलिस जांच कर रही है।



दुकान में करीब 20 कर्मचारी काम करते हैं।

ऐसे में पुलिस अंदरूनी जानकारी लीक होने की आशंका समेत सभी पहलुओं पर पड़ताल कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही डुमरांव थाना

पुलिस सक्रिय हो गई। बुधवार को थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा और प्रभारी थानाध्यक्ष मनेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल की जांच की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर नकाबपोशों की पहचान

करने में जुटी है। चोरी की इस बड़ी वारदात से दुकानदार दीपक कुमार गुप्ता बदहवास हैं। वहीं, बाजार के अन्य दुकानदारों में भी दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

86 हाथी पांव मरीजों को मिला दिव्यांगता प्रमाण पत्र

बक्सर (आससे)। स्वास्थ्य विभाग ने फाइलेरिया से पीड़ित हाथीपांव के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया है। जिले में अब तक ऐसे 86 मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिससे वे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। जिला वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि मरीजों की शारीरिक स्थिति और बीमारी की गंभीरता के आधार पर अपंगता का प्रतिशत तय किया जाता है। इसके लिए मरीजों को स्वावलंबन यूडीआईडी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद मेडिकल बोर्ड के समक्ष जांच में 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता पाए जाने पर प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड निर्गत किया जाता है। इस प्रमाण पत्र की मदद से मरीज केंद्र और राज्य सरकार की दिव्यांग कल्याणकारी योजनाओं, जैसे कि विकलांगता पेंशन, रेलवे यात्रा में छूट और अन्य लाभों का आसानी से फायदा ले सकेंगे। जिला जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी सह एसीएमओ डॉ. शैलेंद्र कुमार ने बताया कि फाइलेरिया एक गंभीर उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है।

बक्सर (आससे)। नया भोजपुर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर में मंगलवार की शाम मकान निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। छज्जे की सेंट्रिंग टूटने से काजीपुर पंचायत के सरपंच सुरेंद्र प्रजापति की मौत हो गई। वहीं, हादसे में दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, आदर्श नगर में अभयानंद प्रजापति के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। छज्जे की सेंट्रिंग का काम किया जा रहा था। इसी दौरान सुरेंद्र प्रजापति रस्तेदारी के कारण वहां पहुंचे थे। बताया जाता है कि वह मौके पर मौजूद मिस्त्रियों और मजदूरों को निर्माण कार्य के संबंध में सुझाव दे रहे थे।

इसी बीच अचानक छज्जे की सेंट्रिंग टूट गई। इससे सुरेंद्र प्रजापति समेत तीन लोग नीचे गिर पड़े। हादसे में तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को डुमरांव के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। सदर



अस्पताल पहुंचते ही सुरेंद्र प्रजापति ने दम तोड़ दिया। वहीं, दोनों घायल

मजदूरों का इलाज जारी है। हादसे की खबर से इलाके में शोक का माहौल है।

पुण्यतिथि पर रोटी बैंक के माध्यम से जरूरतमंदों को कराया गया भोजन

बक्सर (आससे)। नगर में सेवा और समर्पण का एक प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला है। स्थानीय किला मैदान

के पास स्थित मलिन बस्तियों में स्व. राजकुमारी देवी (पत्नी स्व. रामेश्वर सिंह, मैनेजर पोएनबी) की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया। इस अवसर पर उनके सुपुत्रों—पार्षद प्रतिनिधि श्याम प्रकाश सिंह और वेद प्रकाश सिंह



द्वारा बीते सोमवार को रोटी बैंक बक्सर को भोजन का अंशदान दिया गया, जिसके माध्यम से सैकड़ों असहाय और गरीब लोगों को आदरपूर्वक भोजन कराया गया। इस दौरान किला मैदान के समीपवर्ती क्षेत्रों में भोजन के साथ अन्य आवश्यक सामग्रियों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद कालिंदी सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहें। परिवर्जनों ने कहा कि दीन-दुखियों की निस्वार्थ सेवा करना ही माता-पिता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। सिंह परिवार के इस सराहनीय और अनुकरणीय पहल की स्थानीय नागरिकों और रोटी बैंक की टीम ने भूरी-भूरी प्रशंसा की है। इस सेवा कार्य से लाभान्वित लोगों ने पूरे परिवार के सुखी और समृद्ध जीवन की मंगल कामना की है।

बच्चों की प्रतिभा निखार रही भदर की दुर्गापूजा समिति

बक्सर (आससे)। जिले में एक ऐसी दुर्गापूजा समिति भी है, जो शारदीय नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की आराधना के साथ बच्चों की प्रतिभा निखारने का काम कर रही है। यह पहल एक-दो वर्षों की नहीं, बल्कि पिछले कई वर्षों से लगातार जारी है। हम बात कर रहे हैं भदर की नवयुवक दुर्गापूजा समिति की। समिति धार्मिक आयोजनों के साथ शिक्षा, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों को भी समान महत्व देती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी विजयादशमी के शुभ अवसर पर मेधा प्रतियोगी परीक्षा-2026 का आयोजन किया गया। स्थानीय पूजा पंडाल में आयोजित प्रतियोगिता में गांव के बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। लिखित परीक्षा में नौ समूहों के 350 प्रतिभागी शामिल हुए। वहीं, पेंटिंग, संगीत, भाषण और निबंध व रचनात्मक लेखन प्रतियोगिताओं में 153 बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन गांव के निवासी एवं चंडीगढ़ के प्रसिद्ध व्यवसायी तथा संत श्री बाबा गणिनाथ उत्थान संस्थान गणेश प्रसाद गुप्ता और सरोज कुमार कंचन ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान बच्चों ने समिति की पहल की सराहना की।

किला मैदान में धू-धू कर जला रावण, उमड़ा जनसैलाब

नगर परिषद अब प्रतिवर्ष उठाएगी आयोजन का पूरा खर्च, समिति ने जताया आभार

—मुस्ताक हुसैन बंटी—

बक्सर (आससे)। ऐतिहासिक किला मैदान मंगलवार की शाम 'जय श्रीराम' के जयघोष से गुंज उठा। मौका था श्री रामलीला समिति, बक्सर की ओर से आयोजित भव्य रावण वध कार्यक्रम का। 20 दिवसीय विजयादशमी महोत्सव के सत्रहवें दिन हजारों की संख्या में लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। रंग-बिरंगी कलात्मक आतिशबाजी के बीच 45 फीट ऊंचे रावण और 40 फीट ऊंचे मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। पुतलों के जलते ही पूरा मैदान जय श्रीराम के उद्घोष से गुंजने लगा। कोल्ड फायर, स्मोक फायर और आकर्षक रोशनी ने आयोजन की भव्यता बढ़ा दी। शाम 5:27 बजे लक्ष्मण जी ने मेघनाद के पुतले का दहन किया। इसके करीब 13 मिनट बाद, शाम 5:40 बजे प्रभु श्रीराम ने रावण की नाभि पर बाण चलाया। बाण लगते ही रावण का विशालकाय पुतला आतिशबाजी के बीच धू-धू कर जल उठा। इस दृश्य को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जुटी थी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खासा उत्साह दिखा।

पुतला दहन से पहले दोपहर दो बजे रामलीला मंच पर मेघनाद वध और रावण वध का प्रभावशाली मंचन हुआ। वृंदावन से आए श्री बाल कृष्ण रामलीला एवं रामलीला मंडल के कलाकारों ने स्वामी मोहन श्याम भारद्वाज के निर्देशन में प्रसंगों को जीवंत किया।

मंच न में दिखाया गया कि कुंभकर्ण के वध के बाद भी रावण का अहंकार कम नहीं होता। वह अपने पराक्रमी पुत्र मेघनाद को



युद्धभूमि में भेजता है। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भीषण युद्ध होता है। मेघनाद अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण को चुनौती देता है। अंततः लक्ष्मण के बाण से उसका वध हो जाता है।

पुत्र की मृत्यु से रावण शोक और क्रोध में डूब जाता है। मंदोदरी उसे प्रभु श्रीराम से वैर छोड़ने की सलाह देती है। लेकिन अहंकार में डूबा रावण युद्ध का रास्ता चुनता है। इसके बाद श्रीराम और रावण के बीच निर्णायक युद्ध होता है। विभीषण के मार्गदर्शन में श्रीराम रावण की नाभि पर बाण चलाते हैं। रावण धराशायी हो जाता है। कलाकारों ने इस प्रसंग के माध्यम से संदेश दिया कि अहंकार, अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है।

रावण वध कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद, बक्सर की ओर से इस आयोजन का संपूर्ण खर्च वहन करने की घोषणा का समिति ने स्वागत

किया। समिति के सचिव बैकुंठाथ शर्मा और संयुक्त सचिव सह मीडिया प्रभारी हरिशंकर गुप्ता ने इस पहल को नगर की सांस्कृतिक परंपरा के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। समिति ने नगर परिषद की मुख्य पार्षद कमरून निशा और चैयरमैन प्रतिनिधि नियामतुल्लाह फरिदी के प्रति आभार जताया। पदाधिकारियों ने कहा कि रावण वध बक्सर की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है। नगर परिषद का सहयोग मिलने से इस परंपरा को निरंतर बनाए रखने और आयोजन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष रमेश गोयल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संचालन सचिव बैकुंठाथ शर्मा ने किया। कोषाध्यक्ष सुरेश संगम ने धन्यवाद ज्ञापन किया। जिला प्रशासन की निगरानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीसीटीवी कैमरों के

माध्यम से भी कार्यक्रम पर नजर रखी गई।

मौके पर जिलाधिकारी साहिला, पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार, डीएसपी गौरव पांडेय, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिक कुमार और उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

समिति की ओर से अध्यक्ष रमेश गोयल, सचिव बैकुंठाथ शर्मा, संयुक्त सचिव सह मीडिया प्रभारी हरिशंकर गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुरेश संगम, लाइसेंसधारक कृष्ण कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष बबन सिंह और बासुकीनाथ सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। भाजपा नेता अमोत पाण्डेय, रेडक्रॉस के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश जायसवाल, डॉ. श्रवण कुमार तिवारी, उदय कुमार सराफ उर्फ जोखन, राजकुमार गुप्ता, राजेश चौरसिया, वृजमोहन सेठ, सुशील मानसिंहका, प्रियेश, ओमजी यादव, पंकज मानसिंहका, सुमित मानसिंहका समेत अनेक गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

कार्यक्रम के समापन पर समिति के सचिव बैकुंठाथ शर्मा ने जिलेवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि रावण वध केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, मर्यादा और नैतिक मूल्यों का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में सत्य, सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अधर्म और अहंकार चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, अंत में विजय सत्य की ही होती है।

Format C-2

(For political party to publish in website, newspaper, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.

Name of Political Party : राष्ट्रीय जनता दल

*Name of the Election : बिहार विधान परिषद

Name of State/UT : बिहार

1	2	3	4		5		
Sl No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	05 दरभंगा स्नातक	अनिल कुमार झा	ए.सी.जे.एम. 1st रेलवे कोर्ट समस्तीपुर, T.R. No. 968/22, दरभंगा जी.आर.पी. थाना केस सं.-23 / 2005	धारा सं० - 143 आई.पी.सी. एवं 174 रेलवे एक्ट, सरकारी कार्य में बाधा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	05 दरभंगा स्नातक	अनिल कुमार झा	ए.सी.जे.एम. 1st दरभंगा G.R.-24104/24, दरभंगा नगर थाना केस सं. 230 / 13,	धारा सं० - 143, 353, 342 एवं 149 आई.पी.सी., सरकारी कार्य में बाधा डालने से संबंधित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	05 दरभंगा स्नातक	अनिल कुमार झा	ए.सी.जे.एम. 1st दरभंगा C.R.I.-3046/20, लहरियासराय थाना केस सं०-497 / 20	धारा सं० - 188, 143, 269, 270, 271, आई.पी.सी., आचार संहिता वगैरह का उल्लंघन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of names of constituency.

Format C-2

(For political party to publish in website, newspaper, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.

Name of Political Party : राष्ट्रीय जनता दल

*Name of the Election : बिहार विधान परिषद्

Name of State/UT : बिहार

1	2	3	4		5		
SI No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	05 दरभंगा शिक्षक	कुमार राउत	सी. जे. एम. सितामढ़ी, GR No. 1057/17, डूमरा थाना, सितामढ़ी, केस सं. 77 / 17	धारा 420, 406, 120बी IPC 138 NI Act, चेक बाउन्स का केस	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	05 दरभंगा शिक्षक	कुमार राउत	S.R. Singh, न्या.द., दरभंगा, TR50/25, सिमरी थाना, दरभंगा, केस सं. 934 / 19	धारा 147, 149, 341, 353, 188, 304, 506 IPC, रोड पर धरना देकर जाम करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	05 दरभंगा शिक्षक	कुमार राउत	Kumar Nidhi, न्या.द., सितामढ़ी, TR104/25, कम्पलेन केस नं. 2518 / 2015	धारा 420, 406, 120बी IPC 138 NI Act., चेक बाउन्स का केस।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of names of constituency.